सत्यमेव जयते

भारत सरकार /Government of India

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/Ministry of Labour & Employment

खान सुरक्षा महानिदेशालय/Directorate General of Mines Safety

सूरत क्षेत्र, सूरत /Surat Region, Surat

क्रॉस कॉर्नर बिल्डिंग, तृतीय तल ब्लॉक नं 25/A, प्लॉट नं8, सिलिकॉन शॉपर्स के सामने, उधना मैन रोड़, सूरत 394 210

दूरभाष:(0261) 227 4652, ईमेल-:region.surat@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्याः सू.क्षे./विविध/स्टोर/ 1338 दिनांकः 6.09.22

सीमित निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय, सूरत क्षेत्र, सूरत (गुजरात) स्थित कार्यालय की एक पुरानी फोटोकॉपियर मशीन के स्क्रेप की बिक्री के लिए दिनांक 06.09.2022 से 20.09.2022 (प्रातः 11.00 बजे तक) तक मुहरबंद निविदा (in hard copy) निम्न पते पर आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 20.09.2022 को दोपहर 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी।

स्थान/पता : खान सुरक्षा महानिदेशालय, सूरत क्षेत्र, क्रॉस कॉर्नर बिल्डिंग, तृतीय तल, ब्लॉक नं. 25/ए, प्लॉट नं. 08, सिलिकॉन शॉपर्स के सामने, उधना मैन रोड, सूरत (गुजरात)

सम्पर्क सूत्रः (0261) 227 4652, मो॰ 9471192368

बिक्री के लिए कार्यालय में उपलब्ध पुरानी / अनुपयोगी वस्तुओं का विवरण निम्न प्रकार हैः

Sr.No.	Details of scrap	Total items	Remarks
1.	**RICOH make,** Model: Aficio C2500	01	सभी सामानों (स्क्रेप) की बिक्री ''जहाँ है, जैसा है आधार पर'' की जाएगी।

नियम एवं शर्तें :

1. इच्छुक खरीददार दिनांक 06.09.2022 से 20.09.2022 (प्रातः) तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में आकर बिक्री के उपर्युक्त सामानों के स्क्रेप) को देख लें, और तदनुसार निविदा फॉर्म में सभी सामान के लिए एकमुश्त कीमत (अंकों/ शब्दों में) अंकित करें।
2. सामान की बिक्री 'जहाँ है, जैसा है आधार पर' पर होगी। आंशिक निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा में दर्शाये उपकरणों के स्क्रेप के लिए समस्त वस्तुओं के समूह/खेप के आधार पर 'एकमुश्त' कीमत लगाई जानी आवश्यक है। निविदा खुलने पर सभी सामानों के लिए कोट की गई एकमुश्त अधिकतम राशि (M-1) वाली निविदा फर्म को फोटोकॉपियर मशीनों का स्क्रेप उठाने की अनुमति दी जाएगी, यह निविदा अहस्तांतरणीय होगी।
4. निविदा पत्र में निविदा फर्म का पूर्ण पता एवं जिम्मेदार व्यक्ति का दूरभाष/मोबाईल नं. अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।
5. निविदा खुलने के उपरांत कार्यालय से विक्रय पत्र जारी होने के 07 दिन के भीतर क्रेता (M-1) की ओर से निविदा में उल्लेखित राशि का भुगतान सामान उठाने से पूर्व इस निदेशालय को ऑनलाईन माध्यम (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से करना होगा। क्रेता द्वारा एक बार सामान प्राप्त करने / स्वीकार करने के उपरांत सामान से संबंधित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं होगी।
6. विक्रय पत्र दिए जाने के उपरांत क्रेता द्वारा निश्चित समय–सीमा में सामान नहीं उठाने पर निविदा के समस्त सामान पर विक्रेता फर्म का पूर्ण अधिकार होगा, जिसका क्रेता फर्म को बगैर कोई नोटिस दिए नियमानुसार अन्य तरीकों से निस्तारण किया जा सकेगा।
7. इस निदेशालय के पास निविदा को बगैर कोई कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार पूर्णरूप से सुरक्षित रखा गया है।
8. नियत तिथि तक मुहरबंद निविदा श्री मुरली धर मिश्रा, खान सुरक्षा निदेशक के नाम से स्वीकार्य होगी। निविदा प्रपत्र/प्रारूप इस पत्र के पार्श्व भाग पर दिया गया है। जिसे अपनी फर्म के लेटरहेड अथवा इसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर मय फर्म की मुहर अंकित पर प्रस्तुत किया जा सकता है।
9. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार सूरत जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

5/9/22

(मुरली धर मिश्रा)
खान सुरक्षा निदेशक
खा॰सु॰म॰नि॰, सूरत क्षेत्र, सूरत